भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 123

गुरूवार, 30 जुलाई, 2026 / 8 श्रावण, 1948 (शक)

न्यूनतम मजदूरी

123. श्री संदोष कुमार पीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल तथा अति-कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन-यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय-सीमा क्या है; और

(घ) देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**

“न्यूनतम मजदूरी” के संबंध में श्री संदोष कुमार पी. द्वारा राज्य सभा में दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए प्रश्न संख्या *123 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): "श्रम" भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। मजदूरी संहिता, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले स्थापनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारित करने, समीक्षा करने, संशोधित करने और लागू करने के लिए समुचित सरकार के रूप में सशक्त बनाता है।

बढ़ती कीमतों का ध्यान रखने के लिए, केंद्र सरकार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की आधार दरों पर प्रत्येक छः माह में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) में संशोधन करती है जो प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होता है। केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रवार दरें (दिनांक:01.04.2026 की स्थिति के अनुसार) संलग्नक में हैं।

मजदूरी संहिता, 2019, जो दिनांक: 21.11.2025 से प्रभावी हो गई है, ने निम्नतम मजदूरी को एक सांविधिक उपबंध बनाया है। मजदूरी संहिता, 2019 में यह निर्धारित किया गया है कि समुचित सरकारों द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नतम मजदूरी से कम नहीं होंगी।

प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, निरीक्षक की भूमिका और पदनाम को परिवर्तित कर "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता" कर दिया गया है। ये सुविधाप्रदाता संहिता के उपबंधों का अनुपालन करने के बारे में नियोक्ताओं और कामगारों दोनों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करते हैं। केंद्रीय क्षेत्र में आने वाले स्थापनों का निरीक्षण मौजूदा निरीक्षण योजना के अनुसार वेब-आधारित, यादृच्छिक और श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से यथानिर्दिष्ट शिकायत-आधारित पद्धति से किया जाता है। इसके अलावा, अननुपालन के लिए शास्ति को युक्तिसंगत बनाया गया है, और त्वरित विवाद समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

संलग्नक

"न्यूनतम मजदूरी" के संबंध में श्री संदोष कुमार पी. द्वारा राज्य सभा में दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए प्रश्न संख्या *123 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रवार दरें (दिनांक: 01.04.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	**अनुसूचित रोजगार**	**कर्मचारियों की श्रेणी**	**प्रति दिन वी.डी.ए. सहित मजदूरी की दर (रु. में)**		
			क्षेत्र क	**क्षेत्र ख**	**क्षेत्र ग**
1.	कृषि	अकुशल	528	483	478
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक	578	530	488
		कुशल/लिपिकीय	627	578	529
		अत्यधिक-कुशल	694	645	578
2.	स्वीपिंग और साफ-सफाई+	अकुशल	827	693	556
3.	पहरा और निगरानी (वाच एंड वार्ड)	शस्त्र के बिना (प्रशिक्षण के साथ कुशल में अपग्रेड किया गया)	1008	918	781
		शस्त्रों के साथ (पर्यवेक्षण के लिए अत्यधिक कुशल में अपग्रेड किया गया)	1094	1008	918
4.	लोडिंग और अनलोडिंग%	अकुशल	827	693	556
5.	सन्निर्माण^	अकुशल	827	693	556
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक	918	781	650
		कुशल/लिपिकीय	1008	918	781
		अत्यधिक-कुशल	1094	1008	918
6.		1. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ ओवरबर्डन का उत्खनन			

	पत्थर तोड़ने और पत्थर क्रशिंग के लिए पत्थर की खानों में लगे कामगार	और निष्कासन: *		
		(क) नरम मिट्टी	560	
		(ख) चट्टान के साथ नरम मिट्टी	841	
		(ग) चट्टान	1113	
		2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अनुपयोगी पत्थरों को हटाना और स्टैकिंग करना।	450	
		3. निश्चित श्रेणी के आकार वाले पत्थर तोड़ना या क्रश करना**		
		(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच तक	3414	
		(ख) 1.5 इंच से ऊपर 3.0 इंच तक	2920	
		(ग) 3.0 इंच से ऊपर 5 इंच तक	1715	
		(घ) 5.0 इंच से ऊपर	1410	
7.	गैर-कोयला खान($)		भूमि से ऊपर {प्रति दिन वी.डी.ए. सहित मजदूरी की दरें (रु. में)}	भूमिगत {प्रति दिन वी.डी.ए. सहित मजदूरी की दरें(रु. में)}
		अकुशल	556	693
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक	693	827
		कुशल/लिपिकीय	827	964
		अत्यधिक-कुशल	964	1078

* प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर या 100 क्यूबिक फीट

** 5.662 क्यूबिक मीटर या 200 क्यूबिक फीट प्रति ट्रक भार

+ सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम,1993 के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर स्वीपिंग और साफ-सफाई के रोजगार में लगे कर्मचारी।

% (i) गुड्स शेड, रेलवे के पार्सल कार्यालयों, (ii) अन्य गुड्स शेड, गोदाम, वेयरहाउस और अन्य समान रोजगार; (iii) गोदी और पोत; तथा (iv) हवाई अड्डों पर ले जाया जाने वाला यात्री सामान और कार्गो (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) में लोडिंग तथा अनलोडिंग के रोजगार में लगे कर्मचारी।

^सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव में लगे कर्मचारी या अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और ओवरसीज कम्युनिकेशन केबल्स और इसी प्रकार के अन्य अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क, इलेक्ट्रिक लाइन्स, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइनों को बिछाने सहित बिल्डिंग ऑपरेशंस में लगे कर्मचारी।

जिप्सम खानों, बैराइट खानों, बॉक्साइट खानों, मैंगनीज खानों, चाइना क्ले खानों, काइनाइट खानों, तांबा खानों, क्ले खानों, मैग्नेसाइट खानों, व्हाइट क्ले खानों, स्टोन खानों, स्टीटाइट खानों (सोप स्टोन और टैल्क का उत्पादन करने वाली खानों सहित), ओकर खानों, एस्बेस्टस खानों, फायर क्ले खानों, क्रोमाइट खानों, क्वार्टजाइट खानों, क्वार्ट्ज खानों, सिलिका खानों, ग्रेफाइट खानों, फेल्सपार खानों, लेटराइट खानों, डोलोमाइट खानों, रेड ऑक्साइड खानों, वोल्फ्राम खानों, लौह अयस्क खानों, ग्रेनाइट खानों, रॉक फॉस्फेट खानों, हेमाटाइट खानों, मार्बल और कैल्साइट खानों, यूरेनियम खानों, मीका खानों, लिग्नाइट खानों, बजरी खानों, स्लेट और मैग्नेटाइट खानों के रोजगार में लगे कर्मचारी।

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - “क”					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स	
बंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाजियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गांव	
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
ग्रेटर मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
नवी मुंबई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झाँसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)

भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयंबटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुप्पुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई-विरार सिटी	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलुरु	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़ वाघला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकूला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)
जो क्षेत्र इस सूची में उल्लिखित नहीं हैं, वे सभी क्षेत्र 'ग' में शामिल होंगे। एनबी: यूए का अर्थ शहरी समूह है।					
